

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद

संख्या 347 /ख0लि0-मि0ख0अनु0/13

दिनांक: 12-11-2013

साधारण मिट्टी निकासी अनुमति

मेसर्स सेवफेब डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री विनीत गोयल निवासी सी-39/1बी मेरठ रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद द्वारा ग्राम महरोली परगना डासना जनपद गाजियाबाद के खसरा संख्या- 924, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 958 से साधारण मिट्टी की निकासी हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 24.09.2013 प्रस्तुत किया है। भूवैज्ञानिक, गाजियाबाद की तकनीकी जांच आख्या दिनांक 23.10.2013 पर जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 03.11.2013 के अन्तर्गत बेसमेन्ट निर्माण से निकलने वाले 21,960 घनमीटर साधारण मिट्टी के निकासी की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। आवेदक द्वारा देय कुल रायल्टी अंकन रूपये 3,07,440/- (रु० तीन लाख सात हजार चार सौ चालिस मात्र) चालान संख्या आर-134923 दिनांक 11.11.2013 के द्वारा राजकीय लेखाशीर्षक 0853 में जमा कर दिया है। अतः जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 03.11.2013 के अन्तर्गत एतद्वारा 03 माह के भीतर निम्नवत शर्त के अधीन बेसमेन्ट निर्माण हेतु 21960 घनमीटर साधारण मिट्टी की निकासी की अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि का विवरण

तहसील	पर0	ग्राम/ स्थान	खसरा/ प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल/मात्रा
गाजियाबाद	डासना	महरोली	924, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 958	2745 वर्गमीटर में 8 मीटर गहराई तक 21960 घ0मी0 साधारण मिट्टी

शर्त:-

आवेदक द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है:-

1. आवेदक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।
2. आवेदक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गृहादि, सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुँचे।
3. हस्तचालन से बेसमेन्ट की खुदाई की जायेगी एवं मशीनों का प्रयोग वर्जित रहेगा।
4. आवेदक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
5. खनिज की निकासी की मात्रा अथवा अवधि जो भी पूर्व में घटित होगी, तक मान्य होगी।
6. प्रत्येक 15 दिन में खनिज की निकासी की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. निकासी कार्य इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू-भाग अथवा भवन व कार्यरत मजदूरों को हानि न पहुँचे और यदि कोई क्षति होती है तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।
8. यदि निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी व अन्य उपखनिज की मात्रा एवं रायल्टी का आंकलन किया जायेगा जो आवेदक को अतिरिक्त रायल्टी के रूप में देना होगा।
9. हाईड्रेशन लाईन के टावर से 50 मीटर की दूरी छोड़कर ही बेसमेन्ट निर्माण का कार्य किया जायेगा।
10. पक्की रोड, बिजली का खम्भा, नाले तथा सार्वजनिक स्थल आदि से सुरक्षित दूरी छोड़कर ही बेसमेन्ट निर्माण का कार्य किया जायेगा।
11. यदि आवेदक द्वारा दी गई शर्तों के अनुरूप कार्य न करके, शर्तों का उल्लंघन करता है तो निकासी आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
12. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से स्वीकृति गानचित्र संख्या 08/एमपी/जीएमपी/जीएच/12-13 दिनांक 16.07.2013 में दी गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. राज्य स्तरीय पर्यावरण इम्पेक्ट एसेसमेन्ट, प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के 1793/पर्या0/एसईएसी/1682/2013/टीए(जे) दिनांक 12.10.2013 में दी गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह स्वीकृति आदेश माननीय न्यायालयों/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का के अधीन होगी तथा जिसका अनुपालन सुनिश्चित करना आवेदक को अनिवार्य होगा।
14. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर लखनऊ के पत्रांक 2557/पर्या0/एस0ई0ए0सी0/साधारण मिट्टी खनन/2012 दिनांक 18.12.2012 में दिये गये निर्देशों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतिरिक्त शर्त:-

1. Top soil should be adequately preserved and should be used for landscaping.
 2. Excavated soil should be properly stored in a manner not to increase surrounding SPM level.
 3. Water sprinkling should be exercised during excavation and storage of soil for suppression of fugitive dust.
 4. Unused excess soil should be disposed with proper permission from District Administration.
 5. Disposal of unused soil should only be transported in covered vehicles.
 6. Excavated area should be properly reclaimed and insured that no open bore hole is left.
- Safety measures for the people working at the site shall be duly taken care of per law.

कृते जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0लखनऊ।
- 2-उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सदर गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया सुनिश्चित कर लें कि ग्राम रामा की भूमि से मिट्टी की निकासी न किया जाये। ग्राम सभा की भूमि से निकासी किये जाने पर सम्बन्धित लेखपाल व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। मिट्टी की निकासी निर्धारित मात्रा में ही किया जायेगा।
- 3-भूवैज्ञानिक, गाजियाबाद।
- 4-प्रानाध्यक्ष, संबंधित।
- 5- मेसर्स सेवफेब डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री विनीत गोयल निवासी सी-39/1बी मेरठ रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद

कृते जिलाधिकारी
गाजियाबाद।